

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 223]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 25 अप्रैल 2011—वैशाख 5, शक 1933

विधि एवं विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 25 अप्रैल 2011

फा. क्र. 22-वि.निर्वा.-2011-चार-83.—भारत निर्वाचन आयोग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सर्व-साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती हैं :—

- (1) क्रमांक 100-रा.स.-म.प्र.-1-2011(1), दिनांक 25 अप्रैल 2011
- (2) क्रमांक 100-रा.स.-म.प्र.-1-2011(2), दिनांक 25 अप्रैल 2011

प्रेम चन्द मीना, प्रमुख सचिव.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, दिनांक 25 अप्रैल 2011—वैशाख 5, 1933(शक)

अधिसूचना

संख्या 100/रा.स.-म.प्र./1/2011(1).—यतः, मध्यप्रदेश राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित श्री अर्जुन सिंह का स्थान, उनकी पदावधि जो 2 अप्रैल 2012 को सम्मिलित करते हुए, उस तारीख तक थी, के समाप्त होने से पूर्व उनकी मृत्यु के कारण 4 मार्च 2011 को रिक्त हो गया है; और

यतः, इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप निर्वाचन कराना है;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 147, धारा 39 की उपधारा (1) और धारा 56 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा :—

- (अ) मध्यप्रदेश राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से यह अपेक्षा करता है कि वे 14 मई 2011 (शनिवार) से पूर्व तथा उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबंधों के अनुसार राज्य सभा में उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें;
- (आ) उक्त निर्वाचन के संबंध में :—
- | | | |
|-----|---|--------------------------|
| (क) | नाम-निर्देशन करने की अन्तिम तारीख— | 2 मई 2011 (सोमवार) |
| (ख) | नाम-निर्देशन की संवीक्षा की तारीख— | 3 मई 2011 (मंगलवार) |
| (ग) | अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख— | 5 मई 2011 (गुरुवार) |
| (घ) | वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा— | 12 मई 2011 (गुरुवार), और |
| (ङ) | वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न कर लिया जाएगा | 14 मई 2011 (शनिवार) |

नियत करता है; और

- (इ) 9.00 बजे पूर्वाह्न से 4.00 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ है तो निर्वाचन के लिए उपर्युक्त विनिर्दिष्ट तारीख को, मतदान होगा.

आदेश से,

हस्ता./-

(के. अजय कुमार)

सचिव,

भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, Dated 25th April 2011—Vaisakha 5, 1933 (Saka)

NOTIFICATION

No. 100-CS-MP-1-2011(1).—WHEREAS, the seat of Shri Arjun Singh in the Council of States, elected by the elected members of the Legislative Assembly of the State of Madhya Pradesh, has become vacant on 4th March 2011 by the reason of his death, before the expiration of his term of office which was up to and including the 2nd April 2012; and

WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 147, sub-section (1) of Section 39 and Section 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby :—

- (A) **calls upon** the elected members of the Legislative Assembly of the State of Madhya Pradesh to elect, before 14th May 2011 (Saturday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person for the purpose of filling the said vacancy in the Council of States;
- (B) **appoints**, with respect to the said election :—
- (a) The 2nd May 2011 (Monday), as the last date for making nominations;
- (b) The 3rd May 2011 (Tuesday), as the date for the scrutiny of the nominations;
- (c) The 5th May 2011 (Thursday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
- (d) The 12th May 2011 (Thursday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
- (e) The 14th May 2011 (Saturday), as the date before which the election shall be completed; and
- (C) **fixes the hours from 9:00 A.M. to 4:00 P.M.**, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

By Order,

Sd./-

(K. AJAY KUMAR)

Secretary, to the

Election Commission of India.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, दिनांक 25 अप्रैल 2011—वैशाख 5, 1933 (शक)

अधिसूचना

संख्या 100-रा.स.-म.प्र.-1-2011(2).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के अनुसरण में और धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश राज्य सरकार के परामर्श से एतद्वारा तारीख 25 अप्रैल 2011 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित आयोग की अधिसूचना के अनुसरण में इस राज्य में राज्य सभा के लिए उप निर्वाचन के संबंध में :—

- (I) नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट अधिकारी को रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित करता है; और
- (II) उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारी को रिटर्निंग आफिसर की उसके कृत्यों के पालन में सहायता के लिए सहायक रिटर्निंग आफिसर नियुक्त करता है :—

सारणी

रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित अधिकारी	सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप में नियुक्त अधिकारी
प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा	उप सचिव मध्यप्रदेश विधान सभा

आदेश से,

हस्ता./-

(के. अजय कुमार)

सचिव,

भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, Dated 25th April 2011—Vaisakha 5, 1933 (Saka)

NOTIFICATION

No. 100-CS-MP-1-2011(2).—In pursuance of Section 21 and in exercise of the powers conferred by sub-Section (1) of Section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India, in Consultation with the Government of the State of Madhya Pradesh, hereby :—

- (i) designates the officer, specified in column (1) of the TABLE below, to be the Returning Officer; and
- (ii) appoints the officer, specified in column (2) of the said TABLE to be the Assistant Returning Officer to assist the Returning Officer in the performance of his functions;

in respect of the bye-election to the Council of States, to be held in that State in pursuance of the Commission's Notification, published in the Gazette of India on 25th April 2011:—

TABLE

Officer Designated as Returning Officer (1)	Officer Appointed as Assistant Returning Officer (2)
Principal Secretary, Madhya Pradesh Legislative Assembly	Deputy Secretary, Madhya Pradesh Legislative Assembly

By Order,

Sd./-

(K. AJAY KUMAR)

Secretary, to the
Election Commission of India.